भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4046

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'भास्कर' का कार्यान्वयन

4046. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) के शुभारंभ की तय समय-सीमा क्या है;

(ख) इसके कार्यान्वयन में आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों के लिए सोची गई विशिष्ट भूमिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में भास्कर के कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई सहयोग तंत्र और उपलब्धि हासिल हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, 16 सितंबर, 2024 को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) की शुरुआत की है।

(ख) से (ङ): भास्कर उद्यमशीलता ईकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों, जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, सलाहकार, सेवा प्रदाता और केंद्र सरकार के निकाय तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) शामिल हैं, के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है।

विभिन्न हितधारक श्रेणियों के लिए, भास्कर पीयर-टु-पीयर बातचीत और सहयोगात्मक कार्यक्रमों को सक्षम बनाता है, हितधारक श्रेणी के लिए अलग-अलग विशिष्ट पहचान सृजित करता है, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल की मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाता है तथा विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद और समन्वय को सक्षम बनाता है।

सरकार भास्कर के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसको अपनाने के लिए विभिन्न आउटरीच और जागरूकता उपाय कर रही है। इन उपायों में राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों तक विशिष्ट पहुंच, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में सूचना सत्र एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार शामिल है।

इसके अलावा, सरकार के प्रमुख राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) कार्यक्रम, जो क्षेत्रीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को प्रोत्साहन और मान्यता देता है, के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भास्कर को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट घटकों को शामिल किया गया है।

*****